प्रारुप–5

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी0

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

संख्या 549 /III(2)/14-49(प्रा०आ०)/2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

2/1.1.14

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 21 जनवरी, 2014

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 32 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग०क्षे०/कु०क्षे०, लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 32 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 149.30 कि०मी० + 05 सेतु तथा लागत ₹ 1264.32 लाख है, पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1264.32 लाख (₹ बारह करोड़ चौसठ लाख बत्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 32 कार्य हेतु ₹ 3.20 लाख (₹ तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरें/विशिष्टयो के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनो मे एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदो के सापेक्ष मे यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -[illegible]-24 [illegible] कार्य के विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा। Photo Copy Attested

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय सगत मद मे निवर्तन मे रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वत: निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस सबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाषीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडके -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 730/XXVII/(2)/2013 दि0: 28 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

संख्या:- 549 (1)/III(2)/14-49(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag

शासनादेश संख्या– 549 / III(2) / 14–49(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 29 जनवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत लोहाघाट बाजार से फोर्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सेतु सहित।	3.00 +02 brg	20.07	0.10
2	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम अहमदपुर ग्रन्ट में नकली सैनी की चर्खी से सरदारों के डेरे तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	4.75	0.10
3	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम अलीपुर से शनीदेव मन्दिर तक मार्ग का नव निर्माण।	3.00	5.70	0.10
4	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर मे ग्राम अलीपुर में शमशान घाट तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1.00	1.90	0.10
5	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में ग्राम अतमलपुर बोंगला मे शनीदेव मन्दिर से हाइवे दिल्ली मार्ग से मुख्य गोहर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	3.00	5.70	0.10
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौण्डी से भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	43.80 [35.10 + 8.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण का कार्य।	8.00	67.44 [46.80 + 20.64 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
8	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में कोठार लिंक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण का कार्य।	4.300	5.66	0.10
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का ग्राम विदुला, नौथा, देवली एवं दलमासा होते हुए हिण्डोलाखाल मुल्यागांव मोटर मार्ग का विस्तार।	5.00	36.55 [29.25 + 7.30 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
10	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुए भैरवाडी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	30.20 [23.40 + 6.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
11	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत धौलंगी–मच्छियारी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	15.56 [11.70 + 3.86 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
12	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत डडुवा से सिरोला होते हुए मयाली पाटाखाल तक मोटर मार्ग का पुल सहित नव निर्माण का कार्य।	7.00	55.36 [41.85 + 13.51 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10

Photo Copy Attested

प्रारुप–6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी0

आज **दिनाँक 22.01.2015** को **वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग** के द्वारा **कि0मी0 1** से **कि0मी0 4** तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद सेमवाल वन दरोगा, श्री सुरेन्द्र दत्त सेमवाल वन आरक्षी** सम्बन्धित राजस्व विभाग की ओर से **राजस्व उपनिरीक्षक** प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री अनुज पुण्डोरा कनिष्ठ अभियन्ता** अन्य दावेदारों की ओर से **प्रधान** तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में **क्षेत्र पंचायत** सदस्य के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें **2060.00 (मी0)** नाप भूमि, **1940.00 (मी0)** सिविल भूमि, **शून्य (मी0)** वन पंचायत, **शून्य (मी0)** आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **1.854 हे0** नाप भूमि, **1.746** हे0 सिविल भूमि, **शून्य** हे0 वन पंचायत भूमि, **शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुल **1.746 हे0** वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग **28 वृक्ष** विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से **शून्य बांज** प्रजाति के प्रभावित होगा । **वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।**

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें **2980.00 (मी0)** नाप भूमि से, **940.00 (मी0)** सिविल भूमि से, **शून्य (मी0)** वन पंचायत से, **80.00 (मी0)** आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल **2.642 हे0** नाप भूमि, **0.846 हे0** सिविल भूमि, **0.072 हे0** वन पंचायत भूमि, **शून्य हे0** आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुल **0.918 हे0** वन भूमि के हस्तान्तरण की आवयकता होगी । इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग **17** वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से **शून्य** बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे। यह वैकल्पिक संरेखण सिविल वन भूमि सहित पूर्व से मोटर मार्ग से लाभान्वित ग्राम टकोली की भूमि से होकर गुजरने पर ग्रामीणों द्वारा भूमि न दिये जाने व संरेखण पर आपत्ति करने के साथ सहमति नहीं दी गयी है जिसके कारण इस विकल्प को अमान्य किया गया है।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन – कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन – है एवं इन कक्षों में – प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि **1.854 हे0** पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर **भीमल, मेहल व कुकाट** प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन **5%** है।

चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का **GPS** मान **30°15'35.08"N, 78°32'53.70"E** है तथा यह स्थल **पौड़ीखाल से तोली चपोली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 के स्थान चपोली** से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल **भैंस्वाडी** है, जिसका **GPS** मान **30°15'8.56"N, 78°33'24.39"E** है। चुने गये समरेखण /स्थल के बीच के स्थलों के **GPS** मान **संलग्न** है। चयनित समरेखन में कुल 25 पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 04 नं0 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका **GPS** मान निम्न हैं।

अन्य आवश्यक विवरण

(1) 30°15'34.73"N, 78°32'54.08"E
(2) 30°15'37.85"N, 78°32'56.05"E
(3) 30°15'36.31"N, 78°32'59.16"E
(4) 30°15'29.72"N, 78°33'27.53"E

(प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि | (वन विभाग) प्रतिनिधि | (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि | (अन्य दावेदार) प्रतिनिधि | (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि

तहसीलदार
तहसीलदार देवप्रयाग टि0ग0

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रा0जि
वन क्षेत्राधिकारी टिहरी राजि नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बिडाकोट / लोली
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढवाल

प्रारुप–14

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी0

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित *1.746* हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह0 /	ह0 /	ह0 /
प्रयोक्ता एजेंसी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० विभाग
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ... टोली
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग,टि०ग०

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रेंज
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–15

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी0

लैन्ड शेड्यूल

(आरक्षित वन भूमि)

जिला	प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे0)
←			शून्य			→

ह0
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी

प्रारुप–15.1

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी0

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु)

सिविल वनभूमि हस्तान्तरण खसरा नम्बर नकल, नकल खतौनी ज0 वि0 र0

खाता संख्या	भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा (हे0)	अर्जित रकवा (हे0)	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
28 / 228	सिविल एवं सोयम ग्राम– चपोली, पट्टी – बनगढ	टिहरी	देवप्रयाग	देवप्रयाग	222	1.905	0.153	170.00	9.00	0.153
					223	0.226	0.162	180.00	9.00	0.162
					225	2.728	0.2970	330.00	9.00	0.2970
					660	3.310	0.4950	550.00	9.00	0.4950
					646	2.367	0.3735	415.00	9.00	0.3735
					1882	0.688	0.198	220.00	9.00	0.198
					833	0.280	0.0675	75.00	9.00	0.0675
						योग–		**1.746**	**9.00**	**1.746**
	वन पंचायत	–	–	–	–			–	–	–
	योग वन भूमि	–	–	–	**कुल योग–**		**1.746**	**1940.00**	**9.00**	**1.746**
	नाप भूमि	टिहरी	देवप्रयाग	देवप्रयाग	–		–	**2060.00**	**9.00**	**1.854**
	कुल योग	–	–	–	–		–	**4000.00**	**9.00**	**3.600**

राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र बिडाकोट पैतोली
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
कीर्तिनगर

तहसीलदार
तहसीलदार
देवप्रयाग
देवप्रयाग टि0ग0

उपजिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
देवप्रयाग
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी
टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रारुप–13

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी0

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का प्रमाण –पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निम्न दो संरेखणों पर विचार किया गया।

संरेखण नं0	प्रभावित वन भूमि (हे0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू–गर्भीय कारण)
संरेखण–1	1.746	28	4.00 कि0मी0	इस संरेखण में 3 हेयर पिन बैण्ड सहित सिविल वन भूमि पड़ रही है एवं इस संरेखण पर लाभान्वित होने वाले ग्राम व तोकों के ग्रामीणों की सहमति है।
संरेखण–2	0.918	17	4.00 कि0मी0	इस संरेखण में आरक्षित वन भूमि सहित सिविल वन भूमि पड़ रही है। पूर्व से मोटर मार्ग से लाभान्वित ग्राम टकोली की भूमि से होकर गुजरने पर ग्रामीणों द्वारा भूमि दिये जाने हेतु आपत्ति करने के साथ सहमति नहीं दी है।

अतः उक्त संरेखणों में से संरेखण –1– उपयुक्त है।

ह0
प्रभागीय वनाधिकारी
(प्रतिहस्ताक्षरित, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग)

सहायक अभियन्ता
अ0ख0, लो0नि0वि0
कीर्तिनगर (मु0–देवप्रयाग)

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0 विभाग
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी रेंज
नई टिहरी

(28)

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
8वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।

पत्रसंख्या – 869/734याता–8/2014–15 दिनांक 16/02/2015।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड,
लोक निर्माण विभाग,
कीर्तिनगर।

डाक संख्या 364
पत्र सं० 16/2
दिनांक 19/02/2015

विषय :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली चमोगी होते हुये भैंसवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु समरेखण प्रस्ताव (4.00किमी0)।

सन्दर्भ :– आपका पत्र संख्या– 331/01 सी0 दिनांक 04.02.2015।

उपरोक्त विषयक राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली चमोगी होते हुये भैंसवाडी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु समरेखण प्रस्तावित समरेखण नं0–1, जो कि मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, 4.00 किमी0 लम्बाई हेतु आपकी संस्तुति के आधार पर अनुमोदित किया जाता है। समरेखण की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न– समरेखण की एक प्रति।

16/2/15
अधीक्षण अभियन्ता,
8वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग,
नई टिहरी।

J-E(T)
EE 18/2/15
12/2

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग, वृत्तीय कार्यालय, लो0नि0वि0, नई टिहरी को उपरोक्त समरेखण की एक प्रति अभिलेख हेतु प्रेषित।
संलग्न– समरेखण की एक प्रति।

अधीक्षण अभियन्ता,
8वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग,
नई टिहरी।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag

प्रतिवेदन

कार्य का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी मोटर मार्ग का संरेखण। (स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0)

जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रांगत देवप्रयाग विकास खण्ड देवप्रयाग में वर्ष 2013–14 में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी मोटर मार्ग निर्माण के **प्रथम चरण** हेतु शासनादेश संख्या 259/।।।(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दिनॉक 29.01.2014 द्वारा लम्बाई 4.00 किमी0 हेतु लागत रु0 30.20 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्य हेतु सर्वप्रथम संरेखण निर्धारण कर संरेखण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु गठित किया गया है।

पौड़ीखाल से तोली चपोली क्यारसौड़ मोटर मार्ग के किमी0 3 स्थान चपोली से ग्राम तोक चमोगी व भैंस्वाड़ी को मोटर मार्ग से जोड़ने के उपरान्त मार्ग को भविष्य में पौड़ीखाल से तोली चपोली क्यारसौड़ मोटर मार्ग के स्थान तोली बैण्ड पर मिलाये जाने के लिये लम्बाई 4.00 किमी0 हेतु प्रस्तावित संरेखणों का विवरण निम्न प्रकार है।

<u>संरेखण न0 1:–</u>

लाल रंग से प्रदर्शित संरेखण पौड़ीखाल से तोली चपोली क्यारसौड़ मोटर मार्ग के किमी0 3 स्थान चपोली से नीचे की ओर निर्मित मार्ग के विपरीत दिशा की ओर प्रारम्भ होकर ग्राम टकोली की ग्राम सभा द्वारा आपत्ति करने पर टकोली की सीमा में 700 मी0 में हेयर पिन बैण्ड देकर पुनः 525 मी0 पर हेयर पिन बैण्ड ग्राम तोक चमोगी को जोड़ते हुये ग्राम तोक से आगे लम्बाई 1.275 मी0 पर हेयर पिन बैण्ड देते हुये ग्राम तोक चमोगी के नीचे से होकर 4.00 किमी0 लम्बाई में ग्राम तोक भैंस्वाड़ी की मध्य सीमा तक पहुंचता है। ग्राम सभा टकोली द्वारा आपत्ति किये जाने तथा क्षेत्र में गावों, मकानों की स्थिति, कठोर चट्टानी भाग, पानी के स्रोत, मार्ग निर्माण हो पाने एवं सिविल वनभूमि व नाप भूमि की स्थिति को देखते हुये संरेखण विशिष्टियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार में 1: 20 से 1: 120 के उतार ग्रेडियेन्ट पर किया गया है, जैसा कि जनरल एल–सैक्शन में प्रदर्शित है। इस संरेखण पर 3 हेयर पिन बैण्ड पड़ते हैं जो क्रमशः क्रॉ0सै0 0/29, 1/9 तथा 2/10 पर पड़ते हैं। क्रॉ0सै0 0/29 व पर पड़ने वाला हेयर पिन बैण्ड सिविल वन भूमि तथा क्रॉ0सै0 1/9 व 2/10 पर पड़ने वाला हेयर पिन बैण्ड नाप भूमि में पड़ रहे हैं। ग्राम तोक भैंस्वाड़ी के कुछ परिवारों द्वारा मार्ग संरेखण को अपने मकानों के पीछे से ही ले जाने पर सहमति दी है। यह संरेखण बिशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये ग्राम चपोली के ग्राम प्रधान व ग्रामीणों की सहमति से किया गया है क्यों कि ग्राम तोक चमोगी व भैंस्वाड़ी ग्राम पंचायत चपोली के अन्तर्गत हैं। इस संरेखण हेतु ग्राम पंचायत चपोली की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त है (पत्र संलग्न)। इस संरेखण को कन्टूर प्लान में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा संरेखण का भू वैज्ञानिक से भूगर्भीय निरीक्षण कराया जा चुका है, आख्या संलग्न है।

क्रमशः – 2 – पर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag

संरेखण न0 2:–

हरे रंग से प्रदर्शित संरेखण भी पौड़ीखाल से तोली चपोली क्यारसौड़ मोटर मार्ग के किमी0 3 स्थान चपोली से नीचे की ओर निर्मित मार्ग के विपरीत दिशा की ओर प्रारम्भ होकर पूर्व से जुड़े हुये ग्राम टकोली की सीमा से होते हुये ग्राम टकोली से आगे लम्बाई 1.650 किमी0 पर हेयर पिन बैण्ड देकर ग्राम तोक चमोगी को जोड़ते हुये ग्राम के ऊपर से होकर 4.00 किमी0 लम्बाई में ग्राम तोक भैस्वाड़ी की मध्य सीमा तक पहुंचता है। क्षेत्र में गावों, मकानों की स्थिति, कठोर चट्टानी भाग, पानी के स्रोत, मार्ग निर्माण हो पाने एवं सिविल वनभूमि व नाप भूमि की स्थिति को देखते हुये संरेखण विशिष्टियों के अनुरूप आवश्यकतानुसार में 1: 20 से 1: 60 के उतार ग्रेडियेन्ट पर किया गया है, जैसा कि जनरल एल–सैक्शन में प्रदर्शित है। इस संरेखण पर मात्र एक हेयर पिन बैण्ड क्रॉ0सै0 1/26 पर नाप भूमि में पड़ता है। यह संरेखण विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये किया गया है। इस संरेखण हेतु मात्र ग्राम पंचायत चपोली की जनता एवं जनप्रतिनिधियों की ही सहमति है एवं संरेखण करने के उपरान्त ग्राम पंचायत टकोली द्वारा इस पर विवाद कर आपत्ति की है। इस संरेखण पर गाम टकोली की भूमि प्रभावित हो रही है जिस कारण ग्राम पंचायत टकोली की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आपत्ति की है (पत्र संलग्न)। इस संरेखण को कन्टूर प्लान में नीले रंग से दर्शाया गया है।

इस मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों की सूची–

क्रम संख्या	गॉव का नाम	कोड संख्या	जनसंख्या 2011 के अनुसार	
			कुल	अनुसूचित जाति
1	चपोली	43052	739	133
	चमोगी, भैसवाड़ी	ग्राम पंचायत चपोली की तोकें		
2	टकोली	43604	229	29

अतः क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग व सहमतिए भूमि की उपलब्धता तथा क्षेत्र की स्थिति के अनुसार लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के आधार पर प्रस्तावित लम्बाई 4.00 कि0मी0 का संरेखण न0 1 जो मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है, अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि
कीर्तिनगर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag

मानचित्र

कार्य का नामः— जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चपोली से टकोली–चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी मोटर मार्ग का संरेखण। (स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0)

Scale- 1:50000

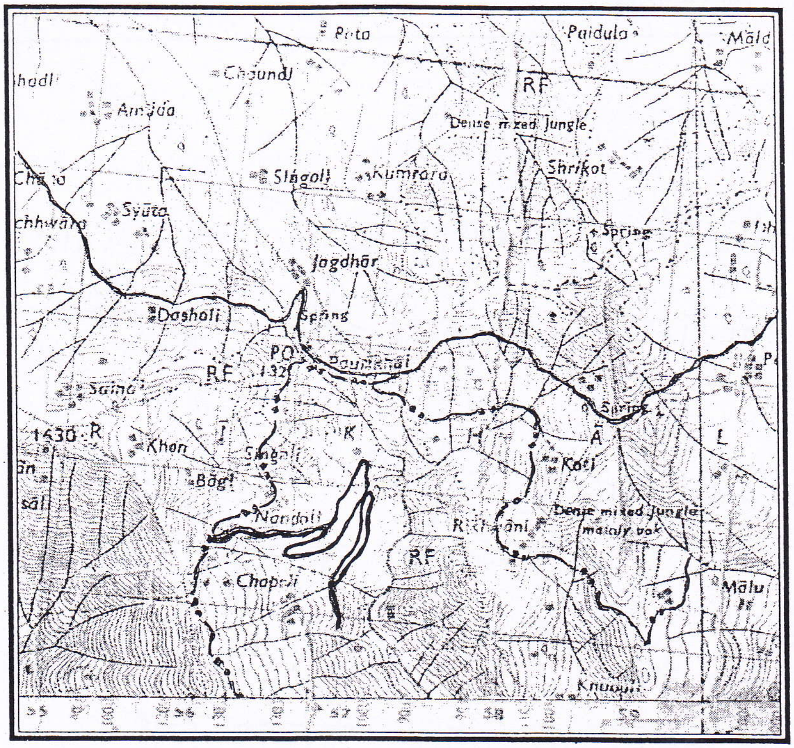

Alignment No......(1)......approved as shown in Red Colour on Contour Map as recommended by E.E.

S.E. 8th Circle 16/4/15
P.W.D. New Tehri

INDEX

Sl.No.	Particulars	Shown in Color
1	Existing Pucca Motor Road	
2	Existing Katcha Motor Road	
3	Alignment No 1	
3	Alignment No 2	

Alignment No 1 (A & B) Shown in Red Color is recommended for Sanctioned.

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
कीर्तिनगर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag

ग्राम पंचायत-नन्दोली, विकास खण्ड-देवप्रयाग (हिण्डोलाखाल)
जनपद-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

कल्याण सिंह
प्रधानः-
ग्राम पंचायत-नन्दोली
विकास खण्ड-देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल

निवास स्थानः-
ग्राम-टकोली, पो०-पौड़ीखाल,
जिला-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
Mob.9756777758,7830749595

पत्रांक...

दिनांक...

सेवा में

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग
कीर्तिनगर जि० टि० ग० उत्तराखण्ड

विषय:- ग्राम सभा चपोली से टकोली होते हुए चमोली कौल्याड़ी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में

महोदय

उक्त सम्पर्क मार्ग जो टकोली होते हुए चमोली कौल्याड़ी जाना था जिस पर ग्राम सभा टकोली वाले आपत्ति कर रहे हैं उक्त सम्पर्क मार्ग को गाँव के बाहर से मोड़ कर आगे बढ़ाने की कृपा करें

(मुहर: ग्राम पंचायत ... 1/12/2014, हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर भूस्वामियों के

- ग्यान सिंह
- गुड्डी देवी
- कुवर सिंह
- मोर सिंह
- मेर सिंह

Photo Copy Attested
(हस्ताक्षर)
Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Devprayag